कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
(सामान्य वर्ग)

पत्रांक-2758 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-134/08 दिनांक 19/03/2024

शुद्धि पत्र

कृपया इस कार्यालय के पत्र सं0-478एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-134/08, दि0-10.01.2024 द्वारा **श्री बालाजी बिल्डर्स-1, गांधी रोड, निकट बृज भवन, लखीमपुर खीरी** को मार्ग कार्य श्रेणी 'ए' की ठेकेदारी से काली सूची में डाले जाने के आदेश निर्गत किये गये थे। जिसमें समय सीमा निर्धारित नहीं की गयी थी, जिसे आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश में समय सीमा 05 वर्ष तक प्रभावी माना जाये। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

ह0/-
(विजय सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मु0-2)
लो0नि0वि0, लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 एवं मुख्य अभियन्ता विश्व बैंक, रा0 मार्ग, पीएमजीएसवाई, डास्प/सोडिक लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण /अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
2. मुख्य अभियन्ता, पीएमजीएसवाई क्षेत्र , लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्र संख्या- 11कैम्प /मु0अभि0 (पीएमजीएसवाई) /2022-23 दिनांक 08.01.2024 के सन्दर्भ में।
3. प्रबंध निर्देशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड/उ0प्र0 सेतु निगम, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमती नगर, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
7. फर्म निबंधक, उ0प्र0, आगरा।

पंजीकृत 8. श्री बालाजी बिल्डर्स, 1, गांधी रोड, निकट बृज भवन, लखीमपुर खीरी।

US 19.3.24
मुख्य अभियन्ता (मु0-2)
लो0नि0वि0, लखनऊ।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांकः 478 एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-134/2008 दिनांकः 10/01/2024

कार्यालय-ज्ञाप

श्री बालाजी बिल्डर्स, 1, गांधी रोड़, निकट बृज भवन, लखीमपुर खीरी का लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 में मार्ग कार्य हेतु श्रेणी 'ए' की ठेकेदारी में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक-1405एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम-134/2008, दिनांक-12.02.2020 द्वारा दिनांक-30.06.2022 तक के लिए किया गया था। जिसमें श्री संजीव प्रताप सिंह चौहान एवं श्रीमती आरती सिंह कुल 02 पार्टनर है।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन मार्ग एम0आर0एल0-1-एल0एम0 मार्ग किमी0-46 से सरैया बिलियम प्रश्नगत सड़क का स्थानीय ग्रामीणों द्वारा हाथ से उखाड़कर दिनांक 20.11.2022 को वीडियो बनाकर वायरल किये जाने के सम्बन्ध में तत्कालीन विभागीय अभियन्ताओं व आपके मध्य हुये पत्राचार के माध्यम से यह स्पष्ट है कि मार्ग पर सरफेस ड्रेसिंग का कार्य आप द्वारा बिना विभाग को सूचित किये दिनांक 14.11.2022 को प्रारम्भ करा दिया गया था। तत्कालीन सहायक अभियन्ता द्वारा उक्त मार्ग के निरीक्षण के दौरान पर्याप्त मशीनरी उपलब्ध न होने के कारण कार्य स्थगन का आदेश पत्रांक 83/यूपी044143/सरफेस ड्रेसिंग दिनांक 17.11.2022 के माध्यम से दिया गया था। सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेते हुए तत्समय अधिशासी अभियन्ता द्वारा भी अपने कार्यालय के पत्र सं0 988/यू0पी044143 दिनांक 17.11.2022 के द्वारा आपको पर्याप्त मशीनरी होने के उपरान्त ही पुनः कार्य प्रारम्भ करने के लिये निर्देशित किया गया था, परन्तु आप द्वारा विभागीय निर्देशों की अवहेलना करते हुए निर्माण कार्य दिनांक 17.11.2022 व 18.11.2022 को भी चालू रखा गया, जिसमें लगभग 28 मी0 भाग में पर्याप्त सफाई न होने के कारण ग्रामीणों द्वारा उक्त भाग के सरफेस ड्रेसिंग के कार्य को उखाड़कर वीडियो बनाया गया। मार्ग पर सरफेस ड्रेसिंग के कार्य को न ही तत्कालीन अवर अभियन्ता द्वारा मापी की गयी और न ही खण्ड द्वारा भुगतान सम्बन्धी कोई कार्यवाही की गयी। शासन में विभागीय छवि धूमिल न होने पाये इस कारण तत्कालिक सहायक अभियन्ता द्वारा आपके विरूद्ध थाना मोहम्मदी में दिनांक 23.11.2022 को प्रथम सूचना रिर्पोट अंकित करा दी गयी। तत्समय इसकी सूचना इस कार्यालय के पत्रांक 1134/यू0पी044143 दिनांक 24.12.2022 द्वारा प्रमुख अभियन्ता (सामान्य वर्ग), लो0नि0वि0, लखनऊ को प्रेषित की गयी थी। स्पष्ट है कि आप द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना करने के कारण ही उक्त स्थिति उत्पन्न हुयी है। अतः आप ही शासन की छवि धूमिल करने के लिए प्रथम दृष्टया उत्तरदायी है।

उपरोक्त अनियमितता के कारण इस कार्यालय के पत्रांक-12986एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-134/08 दि0-20.10.2023 द्वारा उक्त फर्म/पार्टनर को कारण बताओ नोटिस दी गयी, जिसका उत्तर 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। फर्म/पार्टनर द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिनांक-03.11.2023 जो इस कार्यालय में दिनांक-07.11.2023 को प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिउत्तर इस कार्यालय के पत्रांक-13363एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-134/08 दि0-01.12.2023 को मुख्य अभियन्ता, मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 क्षेत्र, लो.नि.वि. लखनऊ को आख्या उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित किया गया जिसके क्रम में मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 क्षेत्र, लो.नि.वि. लखनऊ के पत्र सं0-11कैम्प/मु0अभि0 (पी0एम0जी0एस0वाई0)/22-23, दिनांक-08.01.2024 एवं संलग्न अधीक्षण अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त, लो.नि.वि. लखनऊ के पत्र सं0-29/कैम्प-खीरी जॉच/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त/2023, दिनांक-05.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि फर्म/पार्टनर द्वारा विभागीय आदेशों की अवहेलना के कारण उपरोक्त स्थिति उत्पन्न हुई और फर्म/पार्टनर प्रथम दृष्टया पूर्ण रुप से दोषी है।

अतः उक्त कृत्य हेतु फर्म/पार्टनर को शासनादेश सं0-2365 एम0एस0/23-पी0डब्लू0-41 एम0एस0/1954, दिनाँक-24.08.1982 एवं प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र संख्या-362 एम0टी0जी0/70एफ0-68 दिनाँक-08.10.1982 द्वारा ठेकेदारों के लिए वर्गीकरण एवं पंजीकरण नियमावली के नियम-15(1) के अन्तर्गत उपयुक्त पंजीकरण संबंधी सुसंगत शासनादेशों एवं शासनादेश संख्या-4127 एम0एस0/23 सा0नि0अनु0(7) दिनाँक-02.12.1974 के अन्तर्गत दोषी मानते हुए श्री बालाजी बिल्डर्स, 1, गांधी रोड़, निकट बृज भवन, लखीमपुर खीरी का पंजीकरण निरस्त करते हुए उक्त फर्म को काली सूची में डाले जाने के आदेश पारित किये जाते है।

यह आदेश तत्काल से प्रभावी होगें।

10/1/24

(अरुण कुमार सिंह)
मुख्य अभियन्ता(मु0-2),
लो0नि0वि0, लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, डास्प/सोडिक लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।

शेष 2.....पर

2. मुख्य अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 क्षेत्र, लो.नि.वि. लखनऊ के पत्र सं0—11कैम्प/मु0अभि0 (पी0एम0जी0 एस0वाई0)/22—23, दिनांक—08.01.2024 के संदर्भ में।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड/उ0प्र0 सेतु निगम, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0, लखनऊ।
7. फर्म निबन्धक, उत्तर प्रदेश, आगरा।

पंजीकृत— 8. श्री बालाजी बिल्डर्स, 1, गांधी रोड़, निकट बृज भवन, लखीमपुर खीरी।

(हस्ताक्षर) 1/11/24

मुख्य अभियन्ता(मु0—2),
लो0नि0वि0, लखनऊ

dc